प्रेषक,

विजय शंकर उपाध्याय,
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
फतेहपुर।

सेवा में,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– / फतेहपुर, दिनांकः 19 अप्रैल, 2021

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–356 /पॉच–5–2021 दिनांकः 02.03.2021 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्यस्थल को विसंकमित करने के लिए 24घण्टे तथार उसके पश्चात 48 घण्टे की अवधि तक बन्द किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिसर में न्यायिक कार्य उक्त अवधि अर्थात 72घण्टे के उपरान्त कार्यालय फिर से शुरू किया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या–101/IV सन् 2021 दिनांकः 18अप्रैल 2021 के अनुसार दो न्यायिक अधिकारियों व सात कर्मचारियों, 01 कर्मचारी की पत्नी जो न्यायालय परिसर स्थित कालोनी में ही निवास करती है एवं न्यायालय परिसर में सुश्रक्षा में लगे पी0ए0सी0 के एक जवान कोरोना संकमित पाये गये हैं जिसके कारण न्यायालय परिसर भी विसंकमित कराये जाने हेतु जनपद न्यायालय परिसर दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 (दो दिन) के लिए बन्द किया गया है।

उक्त जनपद न्यायालय परिसर फतेहपुर में ही पारिवारिक न्यायालय भी स्थिति है। अतएव जनपद न्यायाधीश फतेहपुर के उपरोक्त प्रशासनिक आदेश के अनुकम में पारिवारिक न्यायालय विसंकमित कराये जाने हेतु दिनांक 19.04.2021 एवं 20.04.2021 (दो दिन) के लिए पारिवारिक न्यायालय बन्द किया गया है।

आख्या माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांकः अप्रैल, 2021

भवदीय,

19.4.21

(विजय शंकर उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।

संलग्नक– छायाप्रति प्रशासनिक आदेश जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

पत्रांकः / फतेहपुरः दिनांक अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः

निजी सचिव, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय,फतेहपुर सेशन डिवीजन, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।